भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

बैकवर्ड
और फारवर्ड
लिंकेज सृजन
हेतु वित्तीय सहायता
अंतर्गत

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश के प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों की स्थापना करने के लिए भावी प्रमोटरों से प्रस्ताव/अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है । इच्छुक प्रमोटर/निवेशक बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के दिनांक 22.02.2018 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल (http://sampada-mofpi.gov.in/linkages/login.aspx) के माध्यम से भेज सकते हैं । स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थियों के लिए निधियां अलग से निर्दिष्ट की गईं हैं । स्कीम के विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in (Schemes>Creation of Backward and Forward Linkages>Download Guidelines and Circulars) पर उपलब्ध हैं।

प्रस्ताव/अभिरूचि की अभिव्यक्तियां 30.04.2018 से पहले अथवा 30.04.2018 को अपराह्न 5:00 बजे केवल ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे । किसी भी भौतिक तरीके से भेजा गया प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा । भावी प्रमोटरों/उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑनलाइन प्रस्तावों पर स्कीम के दिशानिर्देशों में दी गई अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर पात्र माना जाएगा और मासिक आधार पर मैरिट के क्रम में चुना जाएगा जब तक कि स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले कुल प्रस्तावों की संख्या समाप्त नहीं हो जाएगी ।

प्रस्तावों/अभिरुचि की अभिव्यक्तियों के साथ दो अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट-पहला रु.50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) प्रतिदेय जमानत राशि के रूप में और दूसरा ईओआई दस्तावेज की अप्रतिदेय लागत के रूप में रु.5,000/-(पांच हजार रुपए मात्र) लगाए जाने चाहिए, जो "भुगतान एवं लेखा अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय", नई दिल्ली में देय हों । डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में मंत्रालय में संबंधित माह के अंतिम दिन को अपराह्न 5:00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए जिसमें आवेदन भेजा गया है, ऐसा न करने पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

उपयुक्त आवेदकों के चयन के पश्चात असफल निविदाकर्ताओं को बयाना राशि लौटा दी जाएगी । सफल नविदाकर्ताओं की बयाना राशि परियोजना पूरी होने तक निष्पादन जमा राशि के रूप में मंत्रालय अपने पास रखेगा । निष्पादन जमानत राशि के रूप में रखी गई बयाना राशि अनुमोदन के पश्चात परियोजना अधूरी रहने की स्थिति में अथवा परियोजना से हटने की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी ।

किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें ।

हस्ता/-
(डॉ. अत्यानंद)
उप-सचिव,भारत सरकार
दूरभाष: नं. 011-26497635
ईमेल: atyanand@nic.in

दिनांक: 07 मार्च,2018
स्थान: पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110049

@MOFPI_GOI @MOFPIIndia

MOFPI